संख्या–152 प0अ0/2004–51 पर्य0/2003

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 26 फरवरी, 2004

विषय–राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग संस्थान अल्मोड़ा/ देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में चिकित्सा व्यय पूर्ति व मशीनें आदि कय मद में स्वीकृत धनराशि के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–136 प0अ0/–11 पर्य/2003 दिनॉक 7 अगस्त, 2003 एवं आपके पत्रांक–324/2–3–43/03–04 दिनॉक अक्टूबर, 2003 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून/ अल्मोड़ा के आयोजनागत पक्ष में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा साज–सज्जा मद में निम्नलिखित विवरणानुसार प्राविधानित रू0 10.25 लाख (रूपये दस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने हेतु निबर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	मानक मद	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)
1–	26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	10.00
2–	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0.25
	कुल योग	10.25

2–उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– मशीनें साज–सज्जा/ उपकरण/ संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख में से रू0 7.00 लाख अल्मोड़ा संस्थान को प्रधानाचार्य, अल्मोड़ा द्वारा इंगित उपकरणों व साज–सज्जा के लिए तथा रू0 3.00 लाख देहरादून संस्थान को एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर के कय एवं मोडल अधिकारी राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन संस्थान की सूक्ष्म साज–सज्जा के लिए आवंटित किये जा रहे हैं।

स्वीकृत धनराशि से मशीनों एवं उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और उक्त दरें न होने की स्थिति में टेन्डर/कूटेशन के आधार पर उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि उन्ही मदों पर व्यय किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-आयोजनागत-104-संवर्द्धन तथा प्रचार-18-राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान का अधिष्ठान-00-की प्रस्तर-1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-2788/वित्त अनु0-3/2004, दिनांक 20 फरवरी,2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- -प0आ0/2004-51पर्य0/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
4- निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
5- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त उत्तरांचल शासन।
6- वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन।
7- प्रधानाचार्य राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून/अल्मोड़ा।
8- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव